13/2/19 प्रा0पत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। पेरोकार रसद उपस्थित अप्रार्थीगण स्वंय या उनके अभिभाषक उपस्थित नही। पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 55/प्रा0पत्र/17 निर्णय दिनांक 27.06.2017 में सिलेण्डर की सुपुर्दगी बाबत प्रा0पत्र को खारिज किया जाकर मूल प्रकरण 43/17 के संलग्न का आदेश दिया गया था उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 12388/17 दायर कर दिनांक 01.08.2017 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.06.2017 पर यथा स्थिति के आदेश प्राप्त किये गये हैं।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से पेरोकार रसद द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 55/प्रा0पत्र/17 निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 12388/17 दिनांक 01.08.2017 में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.06.2017 पर यथा स्थिति का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त यथा स्थिति के आदेश प्रसारित किये जाने के उपरान्त इस प्रकरण में न्यायालय हाजा से कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। माननीय उच्च न्यायालय से उपरोक्तानुसार प्रकरण बाबत किसी भी तरह का निर्णय पारित होने पर न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी। उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक के लिये इस प्रकरण की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे।

जिला कलक्टर
झालावाड़